

भारतीय नागरिकों के मूलभूत अधिकारों से संबंधित अनुच्छेदों का अध्ययन

Suman Devi^{1*} Dr. Mahender Singh Khichar²

¹ Research Scholar, OPJS University, Churu, Rajasthan

² Professor, OPJS University, Churu, Rajasthan

सार – खंड-1 में शब्द केवल का प्रयोग अर्थपूर्ण है। इनमें से किसी एक या अधिक आधारों पर तथा अन्य आधार या आधारों पर आधारित विभेद इस अनुच्छेद के द्वारा प्रभावित नहीं होगा और न ही निवास पर आधारित विभेद अवैध होगा।

खंड - 2 में इस प्रतिषेध की विशेष रूप से लागू करने का उपबंध किया गया है। स्पष्ट है कि प्रतिषेध राज्य एवं साधारण जनता दोनों की कार्यवाहियों पर लागू होता है।

-----X-----

भूमिका

खंड-8 तथा खंड-4 में विभेद न करने के सामान्य सिद्धांतों के अपवाद अंतर्निहित हैं। ये राज्य को क्रमशः स्त्रियों तथा बच्चों के लिए और सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के कुछ वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देते हैं। समाज के इन वर्गों के संरक्षण के लिए कतिपय कानूनों की विधिमान्यता के संबंध में उच्चतम न्यायालय की उद्घोषणाएं इन अपवादों की जरूरत तथा औचित्य को प्रचुर रूप में प्रमाणित करती हैं। किंतु इन विशेष उपबंधों के बावजूद, यह निर्णय दिया गया है कि अनुच्छेद 14 के अधीन सामान्य प्रतिषेध ऐसे मामलों में भी लागू होगा; राज्य जो भी विशेष प्रावधान करे, वे मनमाने या अनुचित नहीं होने चाहिए।

खंड-4 ने जो सबसे बड़ी समस्या पैदा की, वह इस बात के निर्धारण के संबंध में है कि कौन व्यक्ति सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग हैं। इसका निर्धारण करने के लिए उचित मानदंड तैयार करने में स्वभावतया अनेक कारक अपनी भूमिका निभाएंगे। जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि अमुक वर्ग पिछड़ा है या नहीं, व्यक्ति की जाति एकमात्र कसौटी नहीं हो सकती। चित्रलेखा बनाम मैसूर के मामले में उसने निर्णय दिया कि हालांकि जाति किसी वर्ग के पिछादेपन का सुनिश्चय करने के लिए एक प्रासंगिक कारण है किन्तु ऐसी कोई बात बहिन है जो सम्बंधित

प्राधिकारी को नागरिकों के किसी वर्ग के विशेष पिछड़ेपन का निर्धारण करने से रोकती हो, बशर्ते वह जाति के हवाले के बिना ऐसा कर सकता हो। एक और मामले में उच्चतम न्यायालय में निर्णय दिया कि पिछड़ेपन का निर्धारण करने के लिए जाति तथा निर्धनता दोनों ही प्रासंगिक हैं। किंतु न तो केवल जाति और न ही केवल निर्धनता निर्धारण की कसौटी होगी।

राज्य द्वारा केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। इस साधारण आश्वासन के उप-सिद्धांत के रूप में संविधान ने लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की प्रत्याभूति दी है। अनुच्छेद 16 यह कहता है कि:

1. राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन से सम्बंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी।
2. कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म-स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में अपात्र नहीं होगा या उससे विभेद नहीं किया जाएगा।

राज्य की सेवा से किसी व्यक्ति को केवल इस आधार पर अपवर्जित नहीं किया जा सकता कि वह ब्राह्मण है। यद्यपि विभिन्न जातियों में अनुपात या कोटे के अनुसार पदों के

वितरण के कारण यह होता है। उल्लेखनीय है कि राज्य की यह समता न केवल लोक सेवाओं में नियुक्ति के विषय में देखनी होगी बल्कि अन्य लोकनियोजन में भी इसका ध्यान रखना होगा जहां राज्य और कर्मचारी के बीच स्थायी और सेवक का संबंध है। विभेद का प्रतिषेध प्रारंभिक नियुक्ति के विषय में भी है और प्रोन्नति तथा सेवा के पर्यवसान के विषय में भी।

मूलभूत अधिकारों से संबंधित अनुच्छेदों का अध्ययन

उच्चतम न्यायालय ने सरकारी सेवाओं में आरक्षण के मुद्दे पर कुछ महत्वपूर्ण विधि संबंधी बिंदु रखे-

- अनुच्छेद 16(4) विस्तृत प्रावधान करता है जिसे रोजगार के मामले में पिछड़े वर्गों के पक्ष में बनाया जा सकता है।
- पिछड़े वर्गों के नागरिकों को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। जाति, व्यवसाय, गरीबी और सामाजिक पिछड़ेपन के बीच आवश्यक सम्पर्क है। भारतीय संदर्भ में निम्न जाति को पिछड़ों के तौर पर देखा जाता है। एक जाति स्वयं एक वर्ग बना लेती है।
- हिंदू समाज में पिछड़े वर्गों की पहचान जाति के संदर्भ के साथ-साथ अन्य मापदंडों-परम्परागत व्यवसाय, गरीबी, निवास स्थान, शिक्षा का अभाव इत्यादि और उन समुदायों में जहां जाति मान्य नहीं है अन्य मापदंड लागू होंगे।
- अनुच्छेद 16(4) द्वारा उल्लिखित पिछड़ापन मुख्यतः सामाजिक है। यह जरूरी नहीं कि यह सामाजिक एवं शैक्षिक दोनों हो।
- **साधन परीक्षण (Means-test)** का उद्देश्य आय सीमा आरोपित करके कुछ विशेष लोगों को पिछड़े वर्ग से बाहर करना है। जिनकी आय सीमा से अधिक होती है उन्हें क्रीमी लेयर माना जाता है। आय और संपत्ति के विस्तार को सामाजिक उन्नयन के एक उपकरण के तौर पर लिया जा सकता है।
- आरक्षण प्राप्त करने के लिए वह वर्ग पिछड़ा होना चाहिए और चाहिए और राज्य के अंतर्गत नौकरियों में उसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए।
- अनुच्छेद 16(4) में उल्लिखित आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

- 50 प्रतिशत का नियम प्रत्येक वर्ष के लिए होगा। इसे वर्ग, सेवा या कैडर, इत्यादि की कुल संख्या से सम्बद्ध नहीं किया जा सकता।
- अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत पदों में आरक्षण केवल प्रारंभिक नियुक्ति तक सीमित होगा और पदोन्नति के मामले में आरक्षण देने पर विस्तारित नहीं होगा। यदि पदोन्नति में आरक्षण मौजूद है तो यह 5 वर्षों तक जारी रहेगा। 77वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1995 द्वारा उपवाक्य 4(क) को जोड़कर समय सीमा को हटा दिया गया और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण को निरंतरता प्रदान की गई।
- 85वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 में 16(4क) की संशोधित किया गया। इसमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सरकारी कर्मचारियों को आरक्षण नियमों के अंतर्गत अनुवर्ती वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति देने की व्यवस्था है।
- पिछड़े वर्गों की पहचान न्यायिक समीक्षा का विषय है।

उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि प्रोन्नति में आरक्षण एक अनिष्टकर बात है क्योंकि जो कर्मचारी एक ही प्रवर्ग और ज्येष्ठता के हैं वे अपने सहकर्मियों द्वारा अतिष्ठित कर दिए जाते हैं। जबकि उन सहकर्मियों के दावे का एकमात्र आधार जाति है गुणागुण नहीं। इसके कारण असंतोष और कटुता का जन्म होता है। सरकार ने यह अधिनियम राजनीतिक कारणों से बनाया है। इसके पीछे व्यापक राष्ट्रीय विचार नहीं है।

(4ख) इस नए खंड में यह उपबंध किया गया है कि किसी वर्ष में रिक्त स्थानों की कुल संख्या की 50 प्रतिशत की सीमा का अवधारण करने के लिए जिस वर्ष में रिक्त स्थान भरे जा रहे हैं उस वर्ष की रिक्तियों में वे रिक्तियां नहीं जोड़ी जाएंगी जो विगत वर्षों में भरी नहीं गई हैं।

दरअसल 81वें संशोधन से खंड (4ख) अंतः स्थापित करके मंडल वाले मामले में न्यायालय द्वारा घोषित इस नियम को अकृत किया गया कि आरक्षित प्रवर्ग के लिए जो रिक्त स्थान बकाया हैं और जो किसी कारण से किसी पूर्ववर्ती वर्ष में भरे नहीं जा सके हैं उन पर भी 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा लागू होगी।

शोध अध्ययन

इस संशोधन का परिणाम यह है कि अग्रेषित किए गए रिक्त स्थान सदैव किसी विशिष्ट वर्ष में आने वाले रिक्त स्थान से अलग रहेंगे। 50 प्रतिशत के कोटे से अधिक आरक्षण हो गया है या नहीं यह पता करने के लिए इन दोनों को जोड़ा नहीं जाएगा।

स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच एक गहरी खाई बन गयी थी। उस खाई को पाटने के लिए संविधान निर्माताओं ने संविधान में आरक्षण के लिए स्पष्ट रूप से उपबंध किए। अनुच्छेद 16(4) में यह स्पष्ट उद्धृत है कि यदि सरकार को लगे कि सरकारी सेवाओं में पिछड़ों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वह आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। यह आरक्षण शैक्षिक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को सरकारी सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व की स्थिति में ही प्रदान किया जा सकता है। संविधान के उपबंधों के तहत केंद्रीय और राज्य विधानमंडल में भी जनसंख्या के आधार पर सीटें आरक्षित की गई हैं। संविधान के अनुच्छेद 330, 331, 332, 333 और अनुच्छेद 336 में ऐसा उपबंध है।

संविधान के 93वें संशोधन अधिनियम (2006) द्वारा निजी एवं बिना सरकारी अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 94वें संविधान संशोधन (2006) द्वारा मध्य प्रदेश, उड़ीसा साथ-साथ छत्तीसगढ़ एवं झारखण्ड को सम्मिलित किया गया है। इन राज्यों में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के कल्याण के लिए एक मंत्री का प्रावधान किया गया है।

संविधान के 95वें संविधान (संशोधन) अधिनियम, द्वारा लोक सभाओं एवं राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के चुनावी सीटों का आरक्षण एवं आंग्ल भारतीयों के मनोनयन की व्यवस्था को 26 जनवरी, 2010 से आगामी दस वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है।

भारतीय संविधान में मूल रूप से आरक्षण की अवधि 10 वर्षों के लिए निर्धारित की गयी थी। इससे पूर्व इसकी अवधि 10-10 वर्ष के लिए 8वें, 28वें, 62वें एवं 79वें संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाई जाती है।

निष्कर्ष

सार्वजनिक पदों में अनुसूचित जातियों के लिए 1943 में 8 प्रतिशत कोटा रखा गया था। आजादी के बाद संवैधानिक रूप से प्रारम्भ में 10 वर्षों के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति के

लिए क्रमशः 15 प्रतिशत एवं 7.5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया। वी.पी. सिंह सरकार द्वारा मण्डल आयोग लागू करके आरक्षण नीति का अंतहीन सिलसिला प्रारंभ कर दिया गया जो सुरक्षा के मुंह की तरह बढ़ता ही जा रहा है।

सन्दर्भ

दत्त एन.के. ओरिजिन एण्ड ग्रोथ आफ कास्ट इन इण्डिया हिन्दुस्तान प्रकाशन, नई दिल्ली, 2011 पृ. 4

घुर्ये जी.एस. कास्ट क्लास एण्ड आक्यूपेशन पापूलर प्रकाशन बम्बई 2013 पृ. 27

कोबर ए. एल. कास्ट इन्सायक्लोपीडिया आफ सोयल साइंस लन्दन 2012, पृ. 254

बुग्गल सी. द एसैन्स एण्ड द रियलिटी आफ कास्ट सिस्टम कन्ट्रीब्यूशन टू इण्डिया सोशियोलॉजी नं. 2 2013 पृ. 49

ब्लंट ई. ए. एच. द कास्ट सिस्टम आफ नार्दर्न इण्डिया एस. चाँद एण्ड कम्पनी दिल्ली 2014, पृ. 112

गजेटियर आफ इण्डिया इण्डियन यूनियन कन्ट्री एण्ड प्यूपिल पब्लिकेशन डिविजन मिनिस्ट्री आफ इनफार्मेशन एण्ड ब्राडकास्टिंग गवर्नमेंट आफ इण्डिया प्रैस फरीदाबाद 2013 पृ. 502

Corresponding Author

Suman Devi*

Research Scholar, OPJS University, Churu, Rajasthan